

09/12/25

आज यह पत्रावली पेथ डवा क्रीम
वादी लंब उमह पत्रात उपस्थित है।

हमने प्राथना-पत्र आपली पर सुना गया।
हमने कुर्रिजाल रिपोर्ट का अध्ययन किया गया।

अतः प्राथना-पत्र आपली शर्जाजि रिपा
जाल है। वादी का बाद-पत्र मुताबिक

कुर्रिजाल रिपोर्ट के आधार पर डिब्बी
रिपा जाल है। विनृत निर्णय अलग से

लिखा जाऊ शक कि रिपा गया। पत्रावली
केवल शुभार होकर नभ्यत से समझा

वाद पूर्ण शर्जित दखल है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :- रामकिशोर मीना-II (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना नं० :- 193/2024
दायर दिनांक :- 16.12.2024
निर्णय दिनांक :- 09.12.2025



उनवान

1. सलोचना पत्नी अभयसिंह जाति अहीर निवासी शेरपुर तहसील बहरोड़।

बनाम

1. किरोस्ता पत्नी पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
2. मनीष पुत्र पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
3. हरीश पुत्र पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
4. अंजु पुत्री पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
5. मंजु पुत्री पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
6. संतोष पत्नी दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
7. प्रदीप पुत्र दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
8. संदीप पुत्र दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
9. संजु पुत्री दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़ पत्नी अनिल निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुंडावर जिला खैरथल तिजारा।
10. मंजीता पुत्री दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़ पत्नी योगेश निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुंडावर जिला खैरथल तिजारा राज।
11. स्टेट बैंक ऑ इंडिया शाखा बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़।
.....प्रतिवादीगण

**दावा इस्तकरार हक तकसीम आराजी हुक्म ईम्टनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 53,88,188,189, आर.टी.एक्ट बाबत।**

उपस्थित :-

1. श्री अनिल कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनित यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।

-: निर्णय :-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित वाद पत्र का दिनांक 08.10.2025 को प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया जाकर प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन आराजी कुर्रैजात रिपोर्ट हेतु जारी की गई। तद्दानुसार तहसीलदार बहरोड़ ने विवादित आराजी को मौके पर तकसीम दिनांक 20.11.2025 को मौके पर तकसीम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1734 दिनांक 24.11.2025 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नम्बर 01 कि और से एक आपत्ती प्रमाण पत्र जिस पर प्रार्थी एवं उनके वकील किसी के हस्ताक्षर नहीं है पेश किया गया। नकल वादी को दी गई। वादी पत्र में प्रतिवादी ने जवाब दवा पेश नहीं किया गया। सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई। बिना हस्ताक्षर के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रतिवादी नम्बर 01 की बिना हस्ताक्षर किये हुये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। तहसीलदार बहरोड़ ने वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 02, 03, 07 की उपस्थिति में कुर्रैजात रिपोर्ट बनाया जाना अंकित किया है। जिस सूरत में विवादित आराजी को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

**उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)**

1. आराजी खसरा नम्बर 465/1 रकबा 0.16, है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ के पप्पू पुत्र यादराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर साकिन कल्याणपुरा खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खातेदार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 465/2 रकबा 0.16 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ में सलोचना देवी अभयसिंह यादव हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) साकिन गोकलपुर खातेदार रहेगे।
3. आराजी खसरा नम्बर 465/3 रकबा 0.16 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ में प्रदीप, संदीप पुत्रान दलीप ,मंजीता ,संगीता पुत्रीयान दलीप संतोष पत्नी दलीप जाति अहीर साकिन कल्याणपुरा साकिन कल्याणपुरा खातेदार रहेगे।
4. तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस डिक्री का भाग रहेगा।
इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 09.12.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



रामकिशोर मीना-॥
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :- रामकिशोर मीना-11 (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न0 :- 193/2024
दायर दिनांक :- 16.12.2024
निर्णय दिनांक :- 09.12.2025



उनवान

1. सलोचना पत्नी अभयसिंह जाति अहीर निवासी शेरपुर तहसील बहरोड़।

बनाम

1. किरोस्ता पत्नी पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
2. मनीष पुत्र पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
3. हरीश पुत्र पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
4. अंजु पुत्री पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
5. मंजु पुत्री पप्पू जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील बहरोड़।
6. संतोष पत्नी दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
7. प्रदीप पुत्र दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
8. संदीप पुत्र दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़।
9. संजु पुत्री दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़ पत्नी अनिल निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुंडावर जिला खैरथल तिजारा।
10. मंजीता पुत्री दलीप जाति अहीर निवासी कल्याणपुर तहसील बहरोड़ पत्नी योगेश निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुंडावर जिला खैरथल तिजारा राज।
11. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़।

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक तकसीम आराजी हुक्म ईम्टनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53,88,188,189, आर.टी.एक्ट बाबत।

उपस्थित :-

1. श्री अनिल कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनित यादव अधिवक्ता प्रतिवादी।

—: पर्चा डिक्री :-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित आराजी को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

1. आराजी खसरा नम्बर 465/1 रकबा 0.16, है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ के पप्पू पुत्र यादराम हिस्सा पूर्ण जाति अहीर साकिन कल्याणपुरा खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खातेदार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 465/2 रकबा 0.16 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ में सलोचना देवी अभयसिंह यादव हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) साकिन गोकलपुर खातेदार रहेगे।
3. आराजी खसरा नम्बर 465/3 रकबा 0.16 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम तहसील बहरोड़ में प्रदीप, संदीप पुत्रान दलीप, मंजीता, संगीता पुत्रीयान दलीप संतोष पत्नी दलीप जाति अहीर साकिन कल्याणपुरा साकिन कल्याणपुरा खातेदार रहेगे।
4. तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट इस डिक्री का भाग रहेगा। इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आज दिनांक 09.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

रामकिशोर मीना-11
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)